राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : एफ 7 (198)परि/नियम/मु./2006/I 1549 दिनांक : 23/1/2020

कार्यालय आदेश 06/2020

विषय :– अग्रिम पंजीयन क्रमांक का ई–ऑक्शन के माध्यम से आवंटन की प्रक्रिया बाबत्।

विभाग के सभी प्रादेशिक/जिला परिवहन कार्यालयों से इच्छित अग्रिम पंजीयन क्रमांकों को ई–ऑक्शन के माध्यम से जारी किये जाने हेतु विकसित पोर्टल का विभागीय अधिसूचना क्रमांक 27145 दिनांक 31.10.2019 के अनुसार कस्टमाईजेशन करवा दिया गया है। विभागीय कार्यालयों को पोर्टल पर कार्य संचालन का प्रशिक्षण वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदान किया जा चुका है।

विभाग द्वारा अग्रिम पंजीयन क्रमांक जारी किये जाने की वर्तमान में प्रचलित प्रक्रिया के स्थान पर विभागीय कार्यालय आदेश 05/2020 दिनांक 22.01.2020 द्वारा नवीन प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 27145 दिनांक 31.10.2019 द्वारा विशिष्ट पंजीयन क्रमांक आवंटन हेतु नवीन शुल्क भी निर्धारित किए जा चुके है। ई–ऑक्शन पोर्टल संशोधित विभागीय प्रक्रिया के अनुसार कार्य करता है।

अतः समस्त परिवहन कार्यालयों को अग्रिम पंजीयन क्रमांक आवंटन करने हेतु निम्नानुसार दिशा–निर्देश प्रदान किये जाते हैः–

1. इच्छित अग्रिम पंजीयन क्रमांक अनिवार्यतः ई–ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से ही जारी किये जायेंगे।
2. इस कार्य हेतु पोर्टल पर कार्यालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु कार्यालयवार यूजर आईडी एवं पासवर्ड मुख्यालय स्थित कंप्यूटर शाखा द्वारा जारी किये जायेंगे।
3. ई–ऑक्शन में एक बार में पूरी सिरीज आवंटन हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी अतः कार्यालयवार एवं श्रेणीवार कितनी अग्रिम सीरीज में आवंटन किया जाना है, यह विभागीय कार्यालय आदेश 05/2020 दिनांक 22.01.2020 से निर्धारित किया गया है।
4. भविष्य में मुख्यालय स्तर से अग्रिम पंजीयन की सीमा बढाये जाने की स्थिति में भी पूरी सीरीज आवंटन हेतु अनुमत की जायेगी।
5. ई–ऑक्शन का कार्य साप्ताहिक आधार पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार संचालित किया जाएगा–

गुरुवार से सोमवार तक	– पंजीकरण
मंगलवार एवं बुधवार(सांय 4.00 बजे तक)	– बोली (bidding)
बुधवार (सांय 4.30 बजे)	– परिणाम जारी होगें

6. राजस्थान राज्य में वर्तमान में 12 पंजीयन सीरीज में पंजीयन क्रमांक जारी किये जाते हैं। कार्यालय स्तर से प्रत्येक पंजीयन सीरीज में पंजीयन प्राधिकारी द्वारा बिंदु संख्या 5 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ई–ऑक्शन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी।
7. नीलामी प्रक्रिया पूर्ण होने पर परिवहन कार्यालय स्तर से पंजीयन प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक बुधवार सांय को आगामी सप्ताह के लिए सभी पंजीयन श्रेणियों के लिए बिंदु संख्या 5 में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पोर्टल पर ई–ऑक्शन की तिथियों का निर्धारण किया जाकर प्रत्येक सप्ताह ई–ऑक्शन कार्य किया जाएगा।
8. नीलामी में भाग लेने के लिए आवेदक को ई–ऑक्शन पोर्टल पर स्वयं के स्तर से लॉगिन आईडी बनाया जाना आवश्यक होगा। जिसकी प्रक्रिया पोर्टल पर "User Other Services" मैन्यू में "यूजर मैन्युअल" विकल्प के अंतर्गत उपलब्ध है।
9. ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए आवेदक के पास 'वाहन 4.0' का एप्लीकेशन नंबर होना आवश्यक होगा, जिसमें 'वाहन 4.0' पर देय कर एवं फीस का भुगतान कर दिया गया हो।
10. ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए आवश्यक फीस केवल ऑनलाईन (ई–ग्रास पोर्टल के द्वारा) स्वीकार की जाएगी।
11. सिस्टम द्वारा बोली प्रक्रिया प्रारंभ होने तक ऑनलाईन भुगतान के सफल होने की स्थिति में ही आवेदक को ई–ऑक्शन में भाग लेने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
12. आवेदक को एक ही वाहन (एप्लीकेशन नंबर) के लिए एक से अधिक पंजीयन क्रमांकों के लिए आवेदन किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इस हेतु आवेदक को प्रत्येक पंजीयन क्रमांक हेतु निर्धारित न्यूनतम राशि जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।
13. एक आवेदक द्वारा एक से अधिक नंबरों के लिए आवेदन करने एवं ई–ऑक्शन प्रक्रिया में सफल होने की स्थिति में आवेदक को ई–ऑक्शन में जीते गये पंजीयन क्रमांकों में से किसी एक नंबर को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। आवेदक द्वारा चुने गये नंबर के अतिरिक्त शेष नंबरों के लिए ई–ऑक्शन प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी।
14. किसी पंजीयन क्रमांक के लिए ई–ऑक्शन प्रक्रिया में एक से अधिक आवेदकों के भाग लेने तथा उनमें से किसी भी आवेदक द्वारा बोली नहीं बढाने की स्थिति में ई–ऑक्शन प्रक्रिया रद्द कर पुनः ई–ऑक्शन आयोजित किया जाएगा।
15. ई–ऑक्शन प्रक्रिया में किसी आवेदक द्वारा इच्छित अग्रिम पंजीयन के लिए आवेदन किये जाने की स्थिति में 'वाहन 4.0' द्वारा उस पंजीयन क्रमांक को नियमित रुप से आवंटित नहीं किया जाएगा। यदि किसी कारण से उस पंजीयन क्रमांक के लिए ई–ऑक्शन प्रक्रिया को पंजीयन प्राधिकारी द्वारा रद्द किया जाता है तो यह पंजीयन क्रमांक आगामी सप्ताह में ई–ऑक्शन के लिए पुनः उपलब्ध हो सकेगा।
16. किसी आवेदक द्वारा इच्छित अग्रिम पंजीयन के लिए आवेदन किये जाने एवं किसी भी कारण से उक्त ई–ऑक्शन प्रक्रिया रद्द होने के दौरान यदि कार्यालय स्तर से रनिंग पंजीयन क्रमांक उक्त पंजीयन क्रमांक से आगे चला जाता है, तो उस पंजीयन क्रमांक को नियमित रुप से आवंटित नहीं किया जा सकेगा। परंतु बिंदु संख्या 15 के अनुसार यह पंजीयन क्रमांक ई–ऑक्शन हेतु उपलब्ध रहेगा।
17. ई–ऑक्शन पोर्टल पर किसी पंजीयन क्रमांक के लिए मात्र एक ही आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में, वह पंजीयन क्रमांक आवेदनकर्त्ता को अधिसूचना क्रमांक 27145

दिनांक 31.10.2019 में उस पंजीयन क्रमांक के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क राशि (Minimum Notified fees)पर ही आवंटित कर दिया जाएगा।

18. बोली प्रक्रिया में अंतिम 5 मिनट में किसी आवेदक द्वारा बोली लगाने की स्थिति में अन्य आवेदकों को समय दिये जाने के लिए बोली समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट के लिए (अधिकतम 6 बार) बढ़ जाएगा।
19. परिणाम जारी होने के 3 दिवस के भीतर आवेदक को शेष राशि जमा करवाया जाना आवश्यक होगा। विफल होने की स्थिति में उसके द्वारा जमा करवाई गयी राशि जब्त कर ली जाएगी एवं नंबर को पुनः ई–ऑक्शन हेतु उपलब्ध करवा दिया जाएगा।
20. बकाया राशि जमा करवाने का विकल्प आवेदक को उसके लॉगिन आईडी में उपलब्ध रहेगा जिसके द्वारा देय राशि का ऑनलाईन भुगतान (ई–ग्रास के माध्यम से) किया जा सकेगा।
21. आवेदक द्वारा पूर्ण नीलामी राशि जमा करवाये जाने के उपरांत संबंधित कार्यालय के स्तर पर पंजीयन प्राधिकारी द्वारा अप्रूवल दिये जाने के उपरांत वाहन को पंजीयन क्रमांक जारी किया जायेगा।
22. ई–ऑक्शन हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया के दौरान आवेदक से उसके बैंक खाते का निम्नानुसार विवरण सॉफ्टवेयर में दर्ज किये जाने का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है–
    1. खाता धारक का नाम
    2. बैंक का नाम
    3. बैंक शाखा का नाम
    4. खाता संख्या
    5. IFSC कोड
    6. MICR कोड
23. उपरोक्त विवरण के आधार पर ई–ऑक्शन में असफल बोलीदाताओं की जमा राशि का प्रतिदाय सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग –I के नियम 255 के प्रावधानों की पालना करते हुए सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, भाग III के बिंदु संख्या 12(H) के अनुसार सक्षम अधिकारी (पंजीयन प्राधिकारी) द्वारा स्वीकृति जारी की जाएगी।
24. ई–ऑक्शन की प्रक्रिया एवं इसके नियमों से आमजन को अवगत करवाने के लिए कार्यालय स्तर से प्रचार प्रसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

उक्त निर्देशों की सख्ती से अनुपालना की जावे अन्यथा संबंधित अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जावेगी।

(राजेश यादव)
प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांक : एफ 7 (198)परि/नियम/मु./2006/I 1550-56 दिनांक : 23/1/2020

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है :—

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, परिवहन, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, परिवहन।
3. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
5. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

23/1/2020

संयुक्त परिवहन आयुक्त (नियम)